कार्यालयः— वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।

झारखण्ड सरकार

वन भवन, चतरा— 825401 (झारखण्ड)

Ph. & Fax (o) - 06541- 222303 E-mail:- dfochatrasouth@gmail.com

पत्रांक 1318 दिनांक 29.4.16

सेवा में,

श्री आलोक कुमार,
उप महाप्रबंधक,
विभागाध्यक्ष (पर्यावरण एवं वन),
सी0सी0एल0 दरभंगा हाउस,
जिला राँची।

विषयः— मेसर्स सी0सी0एल0 के पुरनाडीह परियोजना हेतु 323.49 हे0 वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंगः— इस कार्यालय का पत्रांक 1978 दिनांक 18.08.2015, पत्रांक 2306 दिनांक 19.09.2015, पत्रांक 2623 दिनांक 10.11.2015 एवं पत्रांक 13 दिनांक 02.01.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि आपके द्वारा समर्पित ऑन लाईन प्रस्ताव को भारत सरकार के द्वारा निहित विहित प्रपत्र पर किये गये अपलोड में जाँच की गई जिसमें निम्नवत् त्रुटियाँ पाई गईः—

1. Online प्रस्ताव के Part- I की कंडिका C(ii)(a) में पैचवाईज डिटेल में वनभूमि का पाँच पैच अर्न्तनिहित है। सभी पैचों का रकवावार KML File में अपलोड करना है जबकि आपके द्वारा एक पैच का उल्लेख करते हुए एक KML File अपलोड किया गया है जो उचित नहीं है। पाँचों पैचों का रकवावाईज KML File अपलोड किया जाय। इस हेतु पूर्व में भी अनुरोध किया गया था।
2. Online प्रस्ताव के Part- I की कंडिका M(2)(vi) में संलग्न मैप पर जी0पी0एस0 कॉर्डिनेट का टोटल स्टेशन 1:4000 स्केल के नक्शा पर दिखाते हुये संलग्न होनी चाहिए, जो नहीं है। इस हेतु पूर्व में भी अनुरोध किया गया था।
3. Online प्रस्ताव के Part- I की कंडिका M(2)(vii) में माईनिंग लिज ऑउटर बॉण्डरी का KML File अपलोड होनी चाहिए जिसके जगह पर गुगल अर्थ का मोनोग्राम अपलोड किया गया है जिसे खोलने पर खुल नहीं रहा है। माईनिंग लिज ऑउटर बॉण्डरी का KML File अपलोड किया जाय। इस हेतु पूर्व में भी अनुरोध किया गया था।
4. Online प्रस्ताव के Part- I कंडिका B1 (i) में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्व में भारत सरकार को अपयोजित होने वाले वनभूमि से संबंधित प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई है कि नहीं उसके स्थान पर नहीं लिखा गया है जो असत्य है। क्योंकि A 2 (xiii) में अपयोजित होने वाली वनभूमि पर भारत सरकार द्वारा दी गई स्वीकृति का विवरणी का उल्लेख किया गया है। अतः उसे हाँ अंकित किया जाय।
5. हार्ड कॉपी प्रस्ताव में अपयोजित होने वाले वनभूमि यानि 323.49 हे0 का वनाधिकार अधिनियम 2006 से संबंधित उपायुक्त, चतरा द्वारा निर्गत प्रमाण—पत्र ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही के साथ नौ प्रतियों में शीघ्र उपलब्ध कराई जाय। इस हेतु पूर्व में भी अनुरोध किया गया था।
6. हार्ड कॉपी प्रस्ताव में अपयोजित होने वाले गैर मजरूआ जंगल—झाड़ी 152.60 हे0 का अनापति प्रमाण—पत्र की प्रति उपलब्ध कराई जाय। इस हेतु पूर्व में भी अनुरोध किया गया था।

अतः अनुरोध है कि ऊपर उल्लेखित बिन्दुओं में से Online प्रस्ताव हेतु निराकरण की जो सूचना दी गई है वह अपूर्ण है। पूर्ण निराकरण अबतक नहीं किया गया है जो काफी खेद की बात है। त्रुटियों के निराकरण कर सूचना शीघ्र इस को दी जाय ताकि प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्रवाई की जा सकें।

विश्वासभाजन,

29.04

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।

29/4/16